मुस्लिम महिलाएं व यौनिकता का सवाल

आवाज़-ए-निस्वां

मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता को लेकर मुख्यधारा धारणा एक आकर्षक, आज्ञाकारी, पर्दानशीं महिला की छवि है जिसकी उर्वरता चरम सीमा पर है और जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, वह पूरी तरह पुरुष पर निर्भर रहती है। पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने इस रुढ़िबद्ध छवि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और मुस्लिम महिलाओं को हिज़ाब से आज़ादी दिलाने के नाम पर देशों पर बम गिराए हैं। ये पूर्वग्रह मुस्लिम महिला व उसके संघर्ष की बेहद संकुचित समझ की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद दकियानूसी विचारधारा रखने वाले लोग इसी छवि को अपनी राजनैतिक महत्वकांक्षा पूरी करने व प्रगतिशील वैकल्पिक विचारों को पनपने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस छवि को "एक नेक मुस्लिम महिला" की पदवी थमा देते हैं।

इसके बावजूद यौनिकता और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे एक दूसरे से अलग समझे जाते हैं। भारत में एक तरफ यौनिकता पर विमर्श में विषमलैंगिक पितृसत्तात्मक ढांचों से अलग रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के संघर्षों को शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने अपना केंद्र वैवाहिक अधिकारों व सामाजिक-आर्थिक सशक्तता तक ही सीमित रखा है। यौनिकता के मुद्दों को उठाने वाली आवाज़ों को अलगाववादी करार देकर चुप रहने को मजबूर कर दिया जाता है।

गैर-विश्वासी मुस्लिम महिलाओं के सामने विडम्बना यह है कि उनके जीवन, संबंधों व सामाजिक-आर्थिक निर्णयों पर मज़हब का नियंत्रण है फिर चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था धर्म में हो या न हो। इसके साथ ही अनेक विश्वास करने वाली मुसलमान महिलाएं भी अपने ऊपर धर्म के नाम पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के नियंत्रण से आज़ादी चाहती हैं और धर्म को एक निजी मसले के तौर पर देखती हैं। पर मुस्लिम अल्पसंख्यक और अधिसंख्यक दोनों ही देशों में महिलाओं का पारिवारिक जीवन कुरान व मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के बेहद संकुचित और सीमित विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। ये कानून और रिवाज दोनों ही पुरुष प्रभुत्व की अभिव्यक्ति हैं। इनसे निजात पाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को अपने 'गैर इस्लामी' व 'अनैतिक' व्यवहार के लिए फतवों और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है।

चित्र: जागोरी नोटबुक 2006 से

इन सभी नियंत्रणों के बावजूद महिलाओं ने पुरुष व विषमलैंगिक सुविधाओं और मानदण्डों को चुनौती देने का साहस दिखाया है। उन्होंने सत्ताधारियों द्वारा सामाजिक दर्जे को कायम रखने के प्रयासों के लिए राजनैतिक व मज़हबी नियंत्रण की मदद से अपनाए हथकंडों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने धर्म के अन्दर निहित असमानता को चुनौती दी है। हालांकि धर्म की आड़ में स्त्री यौनिकता को नियंत्रित रखने के लिए अपनाए गए प्रयास सभी मज़हबों में समान ही होते हैं फिर भी मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता को दबाने के लिए अपनाए गए नियंत्रणों में कुछ फ़र्क़ भी नज़र आते हैं।

फ़र्क़ का सबसे पहला आयाम है *राज्य व मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता।* हमारे जीवन के अन्य आयामों की तरह यौनिकता भी एक राजनैतिक मुद्दा है। राज्यों की जनसांख्यिकी, उनके आसपास के राजनैतिक ढांचे, सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक पक्ष राज्य संस्थानों

और सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता को प्रभावित करते हैं। इसी तरह धर्म निरपेक्ष राज्यों या धर्मतंत्रीय राज्यों या वहां जहां मुसलमान जनसंख्या बहुमत या अल्पसंख्यक है वहां इस यौनिकता को नियंत्रण करने वाले कारक अलग होते हैं। राष्ट्र विकास की विचारधारा, सामाजिक व आर्थिक हित यह तय करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के शरीर, स्वायत्तता और उनकी शक्ति पर लगाए नियंत्रणों का विस्तार, स्वभाव व सीमा क्या होगी। मुस्लिम महिला की यौनिकता उसकी राज्य के ढांचे में स्थिति द्वारा तय की जाती है।

दूसरा आयाम है *धार्मिक कट्टरता व मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता।* सितम्बर ग्यारह के हादसे के बाद 'मुसलमान आतंकवाद' एक हौवा बनकर लोगों के दिलो-दिमाग पर छा गया है। धार्मिक व राजनैतिक उग्र-राष्ट्रीयता ने एक नई 'खतरे' से बचने की भाषा ईजाद कर दी है जिसमें नागरिक अधिकारों व स्वायत्तता पर अंकुश लगाना, राज्य के प्रति वफादारी का महत्व व अपनी आलोचनात्मक शक्तियों को काबू में रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। इस माहौल का मुसलमान महिलाओं की यौनिकता पर क्या प्रभाव पड़ा है? अधिकांश मुस्लिम महिलाएं स्वयं को राजनैतिक व धार्मिक कट्टरवाद के चौरास्ते पर पा रही हैं जहां उनकी यौनिकता का नियंत्रण समुदाय की इज़्ज़त, पवित्रता और उपयुक्तता के लिए अहम समझा जा रहा है। *कारोकारी*, बाल विवाह व स्त्री जननांग विकृतिकरण यौनिकता नियंत्रण के तरीके हैं जिन्हें अधिक इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं के शरीर पर भी कट्टरपंथी समूहों द्वारा हमला किया जाता है जिससे समुदाय की आत्मा पर चोट करके उसे नष्ट किया जा सके। इसके प्रतिकार के रूप में और अपनी पहचान के प्रतीकों पर हमलों को रोकने की कोशिश में अनेक महिलाएं अपने शरीर और यौनिकता से जुड़े प्रतीक जैसे चादर, बुर्के दोबारा अपना रही हैं। इस प्रकार कट्टरवाद की राजनीति स्थानीय व भौगोलिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं की यौनिकता पर अपना प्रभाव डालती है।

तीसरा आयाम है *जेंडर, यौनिक विविधता तथा इसमें मुस्लिम महिलाओं की भूमिका।* मौजूदा माहौल में जब राज्यों की स्वायत्तता बाज़ारी तत्वों द्वारा कुरेदी जा रही हो राष्ट्रीय व धार्मिक पहचानों की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में अपने शरीर पर नियंत्रण पाने व अपनी यौनिक जागरूकता को पुरुष प्रभुत्व से आज़ाद करके इस्तेमाल करने के लिए किए गए संघर्षों को कम ही सफलता मिलती है। लिहाज़ा मुस्लिम महिलाओं ने खुद को, समुदाय व राष्ट्रीयता को मज़हबी सीमाओं के भीतर व बाहर से पुनर्भाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ अगुवाइयां सफल रही हैं परन्तु यौनिकता के इर्द-गिर्द संघर्षों को अदृश्य और खामोश रखने के प्रयासों ने भी ज़ोर पकड़ा है। पर मुस्लिम महिलाओं ने अपने जेंडर व यौनिकता का इस्तेमाल पितृसत्तात्मक व विषम-नियामक ढांचों को चुनौती देकर उन्हें परिवर्तित करने की कोशिश जारी रखी है। ऐसा करने में उन्होंने अपनी लैंगिक, यौनिक, धार्मिक, राष्ट्रीय पहचानों के बीच जटिलताओं को भी सुलझाने के प्रयास किए हैं।

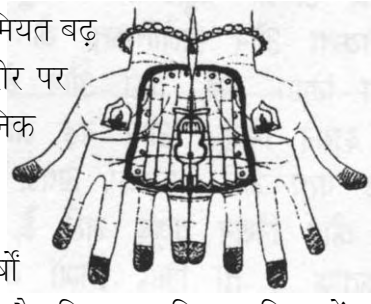

चित्र: जागोरी नोटबुक 2006 से

चौथा व अंतिम आयाम है *कुरान में मुसलमान महिला के शरीर व यौनिकता का निर्माण।* इसमें हमें यह समझना होगा कि कुरान की कौन सी व्याख्या ऐसी है जो औरतों को अपने शरीर, यौनिकता और प्रजनन काबलियत को नियंत्रित करने और उसे इस्तेमाल करने की उदारता दिखाती है। क्या कुरान की व्याख्या पुरुष प्रभुत्व व पितृसत्तात्मक निगरानी और शारीरिक नियंत्रण को चुनौती देने के लिए की जा सकती है? क्या कुरान को महिला सशक्तता का माध्यम मानकर मुसलमान समुदाय में पुरुष प्रभुत्व को चुनौती या बरकरार रखना संभव है? मुस्लिम महिलाओं की नज़र में कुरान-मज़हब की उनकी यौनिकता व शरीर को लेकर क्या भूमिका है? धर्म के नाम पर औरतों पर हिंसा करने वाले रिवाज कुरान में कैसे वैधता पाते हैं? इन सभी सवालों को उठाकर ही हम मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं जिसमें वे कुरान को दोबारा समझने व उसकी स्वयं व्याख्या करने की जगह हासिल कर सकें। और उनकी इस कोशिश या आलोचना को उनके संघर्षों को अवैध करार देने के लिए न इस्तेमाल किया जाए बल्कि एक नए कल की रचना की पहल के रूप में प्रोत्साहित किया जाए।